राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ

# जासूस

बादशाह

www.picmp.com

आरएनआई निबंधन संख्या-एमपीएचआईएन-1999/4107

डाक पंजीयन-म.प्र./भोपाल/371/2015-17

वर्ष-17,अंक-25 (बाईस सालों से प्रकाशित) | भोपाल, गुरुवार 7 जुलाई 2016 | मानसून विशेषांक | मूल्य पांच रुपए

# झूठा शपथ पत्र देकर फंस गए गोपाल भार्गव

## संविधान की शपथ लेने वालों को कानून का पालन कराना अनिवार्य

भोपाल,7 जुलाई। मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजकि न्याय मंत्री गोपाल भार्गव झूठा शपथ पत्र देकर फंस गए हैं। उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई करने का अनुरोध राज्यपाल रामनरेश यादव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सलीना सिंह से कयिा गया है। लगभग एक महीना बीत जाने के बाद भी संविधान की रक्षा की शपथ लेने वाले इन मुख्य प्रतिधियों ने अब तक गोपाल भार्गव के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। देश के प्रमुख विधि वेत्ता इस प्रकरण पर विचार कर रहे हैं

कानूनविदों का कहना है कि इस मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड विधान की धारा 166 ए में संशोधन कर दिया है। जिसके अनुसार यदि विधि का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी धारण करने वाली संस्थाएं या उनके पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो ये गंभीर दुराचरण की श्रेणी में आएगा। भादवि की धारा 166 ए को आकर्षित करेगा और कानून के इस उल्लंघन के लिए आरोपी एक साल के कारावास के दंड के भागी होंगे।

जासूस बादशाह के ब्यूरो प्रमुख पं. अनिल तिवारी ने इस संबंध में राज्यपाल श्री रामनरेश यादव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सलीना सिंह के अलावा राज्य के मुख्य सचिव डिसा एंटोनी को आवेदन देकर कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। राज्यपाल महोदय से उन्होंने गोपाल भार्गव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने का निवेदन किया था। इसके पहले गोपाल भार्गव के निर्वाचन को शून्य करने के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को भी निवेदन किया जा चुका था। अपने निर्वाचन पत्र के साथ दिए शपथ पत्र में श्री भार्गव ये कह चुके हैं कि उनके विरुद्ध न्यायालय में कोई भी आपराधिक प्रकरण न पंजीबद्ध है न प्रचलन में है। शपथ पत्र में उन्होंने उसे निरंक बताया है। जबकि भोपाल के ही जिला न्यायालय में उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 515 / 08 विचाराधीन है। जिसमें वे 28.11.2013 को दस हजार रुपए की सक्षम प्रतिभूति और उतने के ही मुचलके पर रिहा हैं।

*पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव से चर्चारत जासूस बादशाह के ब्यूरो प्रमुख पं. अनिल तिवारी*

मामले की शुरुआत तब हुई जब श्री गोपाल भार्गव राज्य के कृषि विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष बने। तब उन्हें पूर्व अध्यक्ष शंकर प्रताप सिंह की ओर से दायर आपराधिक मामले में गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। 11 नवंबर 2006 को अधिवक्ता संजय वर्मा के माध्यम से इस प्रकरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था। जबकि इस प्रकरण में वे लगातार अपने निर्वाचन के दौरान दिए गए शपथ पत्र में ये जानकारी छुपाते रहे। ये मामला 17 अक्टूबर 2006 को एक परिवाद के माध्यम से भोपाल के प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी आर सी चौरसिया की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इस मामले में 17 जनवरी 2008 को पीठासीन न्यायाधीश महोदय ने भारतीय दंड विधान की धारा 166 , 167 , एवं 120 बी के तहत पर्याप्त आधार पाते हुए आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने का आदेश दिया था।

अभियुक्त गणों को समन के जरिए 13 मार्च 2008 को तलब किया गया था। जब लगातार समस्त आरोपी अदालत की अनदेखी करते रहे तो 8 मार्च 2013 को न्यायाधीश पी.के .बरकड़े न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी भोपाल ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया। आरोपी गोपाल भार्गव को इस संबंध में 26 अप्रैल 2013 को हाजिर होने का आदेश दिया गया था। जब वे इस पर भी हाजिर नहीं हुए तो 28 नवंबर 2013 को अभियुक्त गोपाल भार्गव न्यायालय में हाजिर हुए और जमानत कराई।

अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों का पालन करने का निर्देश देकर रिहाई दी। कहा गया कि आरोपी अपने अधिवक्ता सहित हर पेशी पर 11 बजे हाजिरी देंगे। अभियोजन

*(शेष भाग पेज सात पर पढ़िए)*

# रिश्वत का मकान बेचकर चुपचाप खिसक लिए रिपुसूदन दयाल

भोपाल, (विधिक संवाददाता)। पूर्व लोकायुक्त जस्टिस रिपुसूदन दयाल कथित तौर पर रिश्वत की भेंट के रूप में मिला अपना मकान पौने दो करोड़ रुपए में बेचकर चुपचाप खिसक लिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस मकान पर अपना झंडा गाड़कर जस्टिस रिपुसूदन दयाल के भ्रष्टाचार को चुनौती दी थी। इसके बावजूद दयाल ये मकान एक स्थानीय व्यापारी को चुपचाप बेचकर भाग निकले हैं। इसकी वजह दयाल की वो जादूगिरी है जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ भाजपा के नेताओं को भी अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए राजी कर लिया था।

लोकायुक्त जैसे पावन पद पर कथित तौर पर दस जनपथ की ओर से उपकृत करने के लिए भेजे गए सिक्किम हाईकोर्ट के इस पूर्व न्यायाधीश के भ्रष्टाचार की कहानियां तो कई हैं। लेकिन कटनी जमीन घोटाले में बरी करने के एवज में आईएएस राघव चंद्रा से कथित तौर पर रिश्वत के रूप में लिए गए इस मकान के सौदे को अदालत में चुनौती भी दी गई थी। रिविएरा टाऊन स्थित ये मकान उन्हें नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर भेंट किया गया था। बताया जाता है कि मध्यप्रदेश हाऊसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने चंदा करके इस मकान की किस्तें भरीं थीं। ये पूरा मामला कई दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर रिश्वतखोरी के रूप में पहचाना गया।

गौरतलब है कि ये मामला राजधानी के पत्रकार आलोक सिंघई और वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र भावसार ने उठाया था। उन्होंने लोकायुक्त पुलिस से इस मामले की जांच करने का निवेदन किया था। तत्कालीन विशेष स्थापना पुलिस ने मामले की सतही छानबीन की और शिकायत को खारिज कर दिया। इसके बाद जस्टिस रिपुसूदन दयाल केकथित इशारे पर पुलिस महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना की ओर से शिकायत कर्ताओं को डराने के लिए उनके खिलाफ झूठी शिकायत करने का मामला खोल दिया गया।आज ये मामला लोकायुक्त की पुलिस नहीं चला रही है। सूत्रों के अनुसार निजी हैसियत से चलाए जा रहे इस मामले में वकीलों की फीस भी लोकायुक्त पुलिस नहीं चुका रही है।

भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद राजनैतिक प्रतिद्वंदिता में चलाए गए सत्तर हजार विचाराधीन मामले वापस लिए थे । भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ राजनैतिक प्रतिद्वंदिता के चलते जो डंपर कांड की शिकायत की गई थी वह रिपुसूदन दयाल के जाने के बाद पुलिस की जांच में फिसड्डी साबित हुई। राज्य सरकार चाहती तो इसके लिए श्री दयाल और उनकी पुलिस को इसके लिए निशाने पर ले सकती थी। एक झूठे मामले से मुख्यमंत्री की साख पर जो बट्टा लगा उसके लिए हरजाना भी मांगा जा स कता था। पर हकीकत ये है कि डंपर कांड को लेकर मुख्यमंत्री पर दबौरा बनाने वाी लाबी ये नहीं चाहती कि कहानी खत्म हो।

जब लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्ट जस्टिस रिपुसूदन दयाल को बचाने के लिए शिकायत कर्ताओं को बेरंग लौटा दिया तो उन्होंने इस मामले की शिकायत जिला अदालत में की। यहां की दो निचली अदालतों ने शिकायत कर्ताओं के दस्तावेजों को सही पाया। इसके बावजूद अदालतों ने भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन किए बिना मामला खारिज कर दिया। शिकायत कर्ताओं ने निचली अदालतों के इन फैसलों को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी है जहां ये मामला अभी लंबित है।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले दो जागरूक नागरिकों को पद का दुरुपयोग करने वाले लोकायुकत से बचाने के लिए राजधानी के वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश निगम ने अदालत में कई दलीलें दी हैं और साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं। मामले की कूट रचना के भी कई प्रमाण दिए जा चुके हैं। पर जब तक इस मामले में अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही ये लड़ाई सरकार और उसकी कानून व्यवस्था के हालात पर भी सवाल उठाती रहेगी।

इस मामले पर अधिक प्रकाश डालना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि ये अभी अदालत में लंबित है। जाहिर है अदालत का फैसला भ्रष्टाचार के कई अन्य पहलुओं को अवश्य उजागर करेगा।

राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ
नायक बादशाह
भोपाल, गुरुवार 7 जुलाई 2016

## मंत्री बदले नीति नहीं

मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल करते हुए नौ नए मंत्रियों को अपनी टीम में जगह दी है। पुरानी टीम के दो वरिष्ठ मंत्रियों को संगठन के लिए वापस लौटा दिया गया है। कारण दिया गया कि वे 75 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। अब ये दोनों मंत्री नाराज हैं। उनका कहना है कि वे जब ठीक काम कर रहे थे तो उन्हें उम्र के पैमाने पर क्यों हटाया गया। अलग अलग तर्क हैं और नेताओं की अपनी अपनी राय है। इन सबके बीच कुछ लोगों का कहना है कि गौर साहब ने गृहमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री जी के लिए जो गहरी खाई खोद दी थी उसके चलते उन्हें रुखसत किया गया है। बेचारे सरताज सिंह तो उनकी ही आंधी में उड़ गए। एक समय अर्जुनसिंह जैसे दिग्गज नेता को हराने वाले सरताज सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि शिवराज जी के राजनीतिक गुरु सुंदरलाल पटवा सरताज सिंह से नाराज थे। इसी के चलते उनकी विदाई की गई। ये तो तरह तरह के कयास हैं। लेकिन एक बात साफ है कि शिवराज सिंह के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने पिछले साढ़े बारह सालों में जो नीति अपनाई हुई है वो उसी पर चल रही है। हालांकि अब नेताओं के बीच नाराजगी की जो खुसफुसाहट सुनाई दे रही है उससे लगता है कि ये सरकार सत्ता विरोधी असंतोष की शिकार होती जा रही है। सरकार ने विरोध और असंतोष के स्वरों को पहचानने और उन्हें संतुष्ट करने की मुहिम भी चला रखी है। इसके लिए सरकार बाकायदा हैप्पीनेस मंत्रालय भी बनाने जा रही है। जिसके मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही होंगे। ये विभाग उदासी के कारणों को दूर करके लोगों में खुशी का अहसास भरने का काम करेगा। दरअसल ये सरकार पूरी तरह लोकप्रियता के मापदंडों पर काम कर रही है। कांग्रेस ने जिस तरह तुष्टिकरण की नीति अपना रखी थी और उसने जनता को विभिन्न तबकों में बांटकर खुश करने की नीति अपना रखी थी कुछ उसी तरह ये सरकार भी आम जनता को खुश करने की नीति अपनाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है जो इस सरकार को पिछली सरकार से अलग बताती है वो ये कि संघ की नीति का पालन करते हुए ये सरकार लोगों को बांटने के बजाए जोड़ने की नीति का पालन कर रही है। जाति समुदायों में लोगों को बांटने के बजाए सरकार ने उन्हें काम और कारोबार के आधार पर बांटने का भागीरथी प्रयास किया है। अब ये प्रयास कितना सफल हो पाया है इसकी जांच तो आगामी चुनावों में ही होगी। इतना तय है कि सरकार ने प्रदेश को जाति और वर्ग के कुंठित दायरे से बाहर निकालने की दिशा में तो काम किया है। कमोबेश यही प्रयास सरकार अपने मंत्रिमंडल में भी कर रही है। इसके बावजूद मंत्रिमंडल विस्तार में जाति के आधार पर मंत्रिमंडल में जगह पाने की होड़ लगी रही। धर्म निरपेक्ष राजनीति का नारा देती कांग्रेस की सरकारों ने पिछले सत्तर सालों में जाति का विष इतने गहरे तक उतार दिया है कि लोग इसके बिना कुछ भी सोचने को तैयार नहीं है। बार बार आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस ने मुस्लिमों को सत्ता में भागीदारी सौंपी थी जबकि भाजपा ने उसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। जबकि हकीकत इसके विपरीत है। मुस्लिम समुदाय के बीच जिस तरह का प्रगतिशील नेतृत्व अब उभर रहा है वो प्रदेश के मुस्लिमों को आगे ले जाने में सहयोगी साबित हो रहा है। अल्पसंख्यक के नाम पर कांग्रेस की राजनीति ने जिन जातियों को धर्म और जाति की अफीम चटाई थी वे भी अब आगे बढ़ने के लिए काल्पनिक बैसाखियों को छोड़ चले हैं। जाहिर है कि मध्यप्रदेश सरकार ने राष्ट्रवाद की ओर अपने कदम तो बढ़ाए हैं। इसके बावजूद प्रखर राष्ट्रवाद की दिशा में मोदी सरकार जितना काम कर रही है उसकी तुलना में मध्यप्रदेश सरकार को अभी और भी ज्यादा तेजी से काम करने की जरूरत महसूस की जा रही है। उम्मीद है कि वो इसमें सफल भी होगी।

# इस तेजी में गरीब को पीछे नहीं छोड़ सकते

– सुबीर रॉय–

हाल में हमने देखा कि सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ)के मुद्दे पर बार बार अपना रुख बदलना पड़ा है। उसे यह कदम जनता की ओर से हो रहे विरोध के चलते उठाना पड़ा। एक ऐसी सरकार के साथ यह कैसे हो सकता है जो अत्यंत लोकप्रिय हो, जिसका जनता की नब्ज पर हाथ हो और जिसने हाल ही में भारी बहुमत से चुनावी जीत हासिल की हो।

ईपीएफ संगठित निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की लंबी अवधि की बचत का प्रमुख जरिया है। ये कर्मचारी अपने बाद के जीवन के अहम खर्च के लिए इसी के भरोसे रहते हैं। वह इस बात को लेकर काफी आश्वस्त रहते हैं कि उनके पास बचत में इतना पैसा है कि जरूरत पडने पर किसी बीमारी के समय वे उसका इस्तेमाल कर सकें या जो सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन में उनके काम आ सके। भविष्य निधि में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान देते हैं और यह संगठित क्षेत्र के बेहतर गुणवत्ता वाले रोजगारों की पहचान है।

अपेक्षा के मुताबिक ही ईपीएफ के सदस्यों को तमाम अहम राजनीतिक दलों से संबद्ध संगठनों का भी समर्थन हासिल है। वे कोई भूमिहीन श्रमिक नहीं हैं। वे प्रवासी मजदूर भी नहीं हैं जो किसी विनिर्माण स्थल पर काम कर रहे हों और जिसे न्यूनतम मेहनताना पाने में भी दिक्कत हो रही हो। सियासी तौर पर संवेदनशील मामले में बदलाव के लिए यह आवश्यक है कि आपके पास न केवल आर्थिक सुधारों की दलील हो बल्कि सत्ताधारी दल के अन्य राजनेताओं को समझाकर उनकी सहमति लेना भी आवश्यक है क्योंकि उनका मतदाता इसी वर्ग से आता है। खुद नौकरशाहों से भी इसका गहरा वास्ता है।

इस क्रम में वित्त मंत्रालय के लोगों ने जिनको पूर्ववर्ती योजना आयोग (वैसे इसका नया नाम नीति आयोग है) के लोगों का समर्थन हासिल है, एक राजनीतिक रूप से कम कद वाले मंत्री की मदद से कुछ ऐसे बदलाव लाने का प्रयास किया जिनकी सफलता और जिनके पीछे की समझ के बारे में केवल उनको और कुछ कारोबारी पत्रकारों को ही जानकारी होगी। जाहिर है यह दांव पूरी तरह उलटा पड़ गया।

क्या किया जाना चाहिए? रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन की बात को सुना जाना चाहिए, जिन्होंने एकाधिक मौकों पर कहा है कि अर्थव्यवस्था को जीवंत बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि फर्म को विफल होने दिया जाए लेकिन लोगों को नहीं। इसे दूसरी तरह से देखें तो कल्याणकारी राज्य के रूप में दक्षिणी यूरोप के देशों का अनुसरण कतई नहीं किया जाए। हां स्कैंडिनेवियन (डेनमार्क, स्वीडन आदि) देशों के मॉडल का अनुसरण जरूर किया जा सकता है जहां भारी करों की मदद से व्यापक सुरक्षा ढांचा सुनिश्चित किया जाता है और जहां श्रम बाजार लचीला है। सुरक्षा ढांचे से आशय बेरोजगारी से सुरक्षा, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं और पेंशन आदि से है। अगर ईपीएफ के रूप में हमारे पास आधी-अधूरी पेंशन व्यवस्था है भी तो उसके साथ छेड़छाड़ करने की भला क्या तुक है?

सामाजिक सुरक्षा अथवा सबके लिए पेंशन का मसला भी ईपीएफ से जुड़ा हुआ है। एक नई सार्वजनिक पेंशन व्यवस्था पेश की गई है जो कतई आकर्षक नहीं है। जिन लोगों के पास किसी भी तरह की बचत है और वे उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वे सरकार की अल्प बचत योजनाओं का रुख करते हैं। सबके लिए सुरक्षित बचत का ढांचा तैयार करने के प्रयास में जिनमें कि अधिकांश गरीब ही हैं, यह आवश्यक है कि हम एक और तथ्य को ध्यान में रखें।

वह यह कि गरीबों और संवेदनशील तबके को पोन्जी योजनाओं से बचाने की आवश्यकता है। इसके लिए उनको आकर्षक प्रतिफल वाली योजनाओं से जोडना होगा। ताकि उनको अपने जमा का उचित प्रतिफल मिल सके। इतना ही नहीं लंबी अवधि की बचत के लिए प्रतिफल की दर अपेक्षाकृत अधिक होनी चाहिए।

यह काम आसान होना चाहिए क्योंकि महंगाई की दर में अब कमी आ रही है। एक बार नए छोटे वित्तीय बैंक चलन में आ जाएंगे तो वे इस काम में मददगार हो सकते हैं। वे वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में अधिक ब्याज की पेशकश कर सकते हैं क्योंकि बतौर सूक्ष्म वित्त संस्थान अब तक वे वाणिज्यिक बैंकों को 12 फीसदी की दर पर भुगतान कर रहे थे। यानी अगर वे जमाकर्ताओं को 10 फीसदी ब्याज दें तो भी उनके पास 2 फीसदी राशि बचेगी।

एक स्थिर समाज में आय गरीबों को हस्तांतरित होती है और कम से कम माध्यमिक तक की शिक्षा सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है। कौशल विकास के लिए पॉलिटेक्निक स्तर पर मदद की जाती है। इसके अलावा सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती है जिसमें निजी स्वास्थ्य बीमा की भूमिका नहीं होती।

निजी स्वास्थ्य बीमा निजी चिकित्सकों और अस्पतालों को अनैतिक व्यवहार के लिए प्रेरित करते हैं। गौर कीजिए तो आप पाएंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के आगमन के बाद हिस्टेरेक्टोमी (गर्भाशय निकालना) के मामलों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

यूरोप के देशों की बात करें तो उन्होंने अपने यहां बढिया सामाजिक स्थिरता व्यवस्था कायम की। हालांकि हालिया अतीत में उत्तरी अफ्रीकी प्रवासियों के आगमन के बाद वहां अशांति पैदा हुई है क्योंकि प्रवासियों के समूह को सामाजिक तौर पर बहिष्कार जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी व्यवस्था कायम करने का काम एक दिन में नहीं हो सकता है।

इसे धीरे धीरे ही हासिल करना होगा और इस क्रम में हर कदम ऐसा होना चाहिए जिसे राजनीतिक रूप से प्रभावित अंशधारकों को समझाया जा सके। सबसे बड़ी जरूरत है कि देश में व्यापक जनसमूहों में संवाद को बढ़ावा दिया जाए। जो आगे बढ़ने की बदली सोच को अपनाने के लिए तैयार हों।

गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक ली। पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला ने उन्हें कानून और व्यवस्था से जुड़ी जानकारियों से अवगत कराया।

## आनंद मंत्रालय बनाने वाला पहला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश

भोपाल (पीआईसी) मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आनंद मंत्रालय के गठन, अवधारणा और संरचना पर विस्तार से चर्चा की और इसे अंतिम स्वरूप देने के लिये राज्य मंत्रि परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हाल में अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए आनंद मंत्रालय बनाने की घोषणा की थी। ऐसा कदम उठाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी विभाग नागरिकों के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए काम करते हैं। इसलिए आनंद मंत्रालय सभी विभागों से जुड़कर काम करने वाला होना चाहिए। इसका स्वरूप भी इसी उददेश्य के अनुरूप होना चाहिये।

श्री चौहान ने आनंद मंत्रालय की सरंचना और गतिविधियों के संबंध में लोगों से ऑनलाइन सुझाव आमंत्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कार्य कर रहे मूर्धन्य विद्वानों से मार्गदर्शन लेने के लिये वे अपनी ओर से पत्र लिखेंगे। श्री चौहान ने कहा कि मूल्य आधारित विकास का अर्थ तभी पूरा होगा, जब नागरिकों में प्रसन्नता का प्रतिशत बढ़ेगा।

बैठक में बताया गया कि दुनिया के विभिन्न देश में अब नागरिकों के आनंद का प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है। इसे सुशासन का संकेतक माना गया है। अमेरिका में भी वेलनेस संस्थान कार्य कर रहा है। भूटान और सऊदी अरब में यह स्थापित हो गया है।

बैठक में प्रसन्नता का आकलन करने के प्रस्तावित मापदंडों पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य, सामाजिक सहयोग, विश्वास, निर्णय लेने की स्वतंत्रता जैसे मापदंडों पर प्रसन्नता का आकलन किया जाता है। भूटान में आंतरिक खुशी, स्वास्थ्य, शिक्षा, समय का उपयोग, सांस्कृतिक बहुलता, सुशासन और सामुदायिक सहयोग जैसे संकेतकों का उपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भूटान में उठाए गए कदमों का अध्ययन करने अधिकारियों का दल भेजने पर भी सहमति दी।

बैठक में आनंद मंत्रालय के गठन के बाद नीतियों में जरूरी बदलाव करने पर चर्चा हुई। आनंद मंत्रालय की गतिविधियों को सोसाइटी के माध्यम से संचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है। सोसाइटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। संबंधित क्षेत्र में काम कर रहे सुयोग्य और अनुभवी व्यक्तियों को सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक ऐसा मंच होगा, जिस पर समाज को दिशा देने वाले व्यक्ति एकत्र होंगे बैठक में मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं जनसंपर्क श्री एस.के. मिश्रा, सचिव श्री विवेक अग्रवाल, सचिव श्री हरिरंजन राव और विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मुख्यमंत्री श्री राजीव टंडन उपस्थित थे।

## भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की नई पद-स्थापना

भोपाल(पीआईसी)। राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की नई पद-स्थापना की है। श्रीमती रीना मित्रा विशेष पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय को अध्यक्ष, म.प्र. पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन, केन्द्र से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर डॉ. एस.डब्ल्यू. नकवी को अति?रिक्त पुलिस महानिदेशक पीएसओ टू डीजीपी, श्रीमती अनुराधा शंकर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेल को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), केन्द्र से प्रतिनियुक्ति से वापसी पर श्री जी.जर्नादन को पुलिस महानिरीक्षक नक्सल विरोधी अभियान पदस्थ किया गया है इसी प्रकार श्री गौरव राजपूत पुलिस अधीक्षक, कटनी को सेनानी, 15वीं वाहिनी, विसबल इंदौर, श्री ए.पी. सिंह पुलिस अधीक्षक, मण्डला को सेनानी आर.ए.पी.टी.सी इंदौर, श्री तरूण नायक सेनानी, प्रथम वाहिनी, विसबल इंदौर को सेनानी 35वीं वाहिनी विसबल मण्डला, श्री गौरव कुमार तिवारी पुलिस अधीक्षक एवं सेनानी 36वीं वाहिनी विसबल बालाघाट (अतिरिक्त प्रभार) को पुलिस अधीक्षक कटनी, श्री असित यादव 17वीं वाहिनी विसबल, भिण्ड को पुलिस अधीक्षक बालाघाट और श्री लोधा राहुल कुमार सेनानी, 35वीं वाहिनी विसबल, मण्डला को पुलिस अधीक्षक मण्डला पदस्थ किया गया है।

### कृषि से मुनाफा देने में जल संसाधन विभाग की भूमिका

भोपाल । जल संसाधन, जनसम्पर्क और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश सरकार निरंतर सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉ. मिश्रा सागर में बैठक ले रहे थे।

# एक साल में सहकारी बैंकों को मुनाफे में लाएं :विश्वास सारंग

भोपाल (पीआईसी) सहकारिता, गैस राहत, पुनर्वास (स्वतंत्र प्रभार) एवं पंचायत ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि अब कोई भी बैंक एल.डी.बी. (भूमि विकास बैंक) न बने। एक साल के अंदर सभी सहकारी संस्थाएँ, विशेषकर बैंक फायदे में आये। उन्होंने एक हफ्ते में सहकारिता विभाग नवाचार विंग स्थापित करने को कहा। श्री सारंग कार्यभार सम्हालने के बाद देर रात तक विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।



एल.डी.बी. जैसी सहकारी संस्थाएँ बंद न हों। एक साल में बैंकों को लाभ में लायें। एक सप्ताह में नवाचार विंग स्थापित हो। फाइल ट्रेकिंग सिस्टम बने। सहकार परिसर पॉयलट तौर पर शुरू करें। लेबर फेडरेशन बनाया जायेगा।

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सारंग ने कहा कि सहकारी संस्थाओं को लाभ में लाने की कार्य-योजना तैयार करें। विशेषकर बैंक पर ध्यान दें, ताकि वे बंद न हों। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत ये संस्थाएँ हैं। इनसे बड़ी संख्या में किसान और गरीब जुड़े हैं। श्री सारंग ने कहा कि आज का दौर नवाचार का है, इसलिये विभाग को इस ओर ध्यान देना है। उन्होंने सहकारी क्षेत्र में लेबर फेडरेशन बनाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों से जुड़ श्रमिकों को इस फेडरेशन के जरिये नियमित रोजगार की सुरक्षा दे पायेंगे। उन्होंने कहा कि बाद में सरकारी स्तर पर होने वाले निर्माण कार्यों से भी इस फेडरेशन को जोड़ा जायेगा।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि कार्य में गति होना चाहिये। इसलिये विभाग में 15 जुलाई तक फाइल ट्रेकिंग सिस्टम लागू हो। शुरू से अंत तक फाइल का मूवमेंट हर स्तर पर दर्ज होना चाहिये। जिसके भी पास फाइल जाये, एसएमएस के जरिये उसे सूचना भी दी जाये। उन्होंने प्रमुख सचिव सहकारिता से केलेण्डर भी तैयार करने को कहा, जिसमें हर कार्य की समय-सीमा सुनिश्चित करने को कहा।

श्री सारंग ने कहा कि सहकार परिसर की अवधारणा पायलट तौर पर शुरू की जाये, फिर इसका विस्तार हर संभाग और उसके बाद जिले में किया जाये। यह परिसर पर्यटन, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ रोजगार का केन्द्र बनाये जायेंगे। उन्होंने जल्द ही शहर एवं गाँव के लिये सहकारिता एक्ट के अधीन अलग-अलग बायलॉज भी बनाने को कहा। इससे व्यवहारिक और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सहकारिता के क्षेत्र में काम कर सकेंगे।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता आंदोलन का आशय है आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन। इस दिशा में विभाग को एकजुट होकर टीम भावना के साथ कार्य करना है।

### सहकारिता कीचर्चा हो:सारंग

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सारंग ने छुट्टी के दिन भी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों के विधानसभा में आने वाले प्रश्नों आदि मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि विधानसभा में विधायकों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का जवाब पूरी तैयारी के साथ दिये जायें।

बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक संस्थाएँ श्री मनीष श्रीवास्तव एवं मार्कफेड के प्रबंध संचालक श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित थे।

# दुनिया के कारोबारी मुनाफे का लाभ दिलाएंगे तभी रोक पाएंगे टैक्स चोरी

मॉरीशस, पनामा और संस्थागत विदेशी निवेश के बारे में बात करते वक्त हमें सार्वजनिक वित्त के सिद्धांतों का भी ध्यान रखना होगा। जो व्यापारी दुनिया के विकसित मुल्कों में घूमकर लौटते हैं वे भारत की कारोबारी व्यवस्था में खुद को बुरी तरह घुटन महसूस करते हैं। यही वजह है कि प्रतिभाशाली कारोबारी विदेशों में बसकर पूंजी का उत्पादन कर रहे हैं। उन्हें हम अपने देश के लिए पूंजी निर्माण के लिए तभी तैयार कर पाएंगे जब वो माहौल उन्हें दे पाएंगे। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं अजय शाह

अजय शाह

वैश्वीकरण का पहला दौर था वस्तुओं एवं सेवाओं को मुक्त करने का आंदोलन। सन 1950 के दशक में सार्वजनिक वित्त पर विचार करने वालों को कर व्यवस्था में सुधार करना पड़ा था ताकि कर व्यवस्था के गतिरोध को समाप्त किया जा सके। सीमाशुल्क का प्रयोग राजस्व के एक अहम स्रोत के रूप में किया जाता था लेकिन इसको समाप्त किया गया क्योंकि यह सीमापार गतिविधियों में हस्तक्षेपकारी थी। इसके बाद अप्रत्यक्ष कर की समस्या आई। अगर भारत ने घरेलू इस्पात पर 20 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगा रखा है तो उचित यही होगा कि आयातित इस्पात पर भी 20 फीसदी कर लगाया जाए। अगर ब्रिटेन में इस्पात पर कर नहीं है तो भारतीय कंपनी वहां के स्थानीय इस्पात उत्पादक का मुकाबला ही नहीं कर पाएगी। इसका हल दो चरणों में है- पहला, मूल्यवर्धित कर (वैट) का रुख करना और दूसरा निर्यात की शून्य रेटिंग। वैट ने आपूर्ति शृंखला में घरेलू कर से जुड़ी व्यापक घटनाओं की रिपोर्टिंग आसान बना दी। तमाम मूल्यवर्धन पर कर लगाया जाने लगा। ऐसे में हम यह समझने लगे कि देश की कंपनियों को किस तरह का कर बोझ वहन करना पड़ता है। वहीं निर्यात पर शून्य रेटिंग के तहत विदेशी खरीदारों को पूरी कर राशि का पुनर्भुगतान कर दिया जाता है।

यह राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक उल्लेखनीय कदम था। वैट की शून्य रेटिंग का विरोध हुआ। कहा गया कि ऐसा करके विदेशी खरीदारों को रियायत दी जा रही है या स्थानीय और विदेशी खरीदारों के लिए अलग-अलग व्यवस्था की जा रही है। वैश्वीकरण के युग में कर नीति का नियम यही कहता है कि आप अनिवासियों पर कर नहीं लगाते। अगर हम भारतीय इस्पात के फ्रांसीसी खरीदारों पर कर लगाने की कोशिश करते हैं तो वे अपना कारोबार कहीं और ले जाएंगे। ऐसे में भारत को भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के सभी अनिवासी खरीदारों के कर का रीफंड करना पड़ेगा।

हम अपने निवासियों पर अपनी मर्जी से कर लगा सकते हैं। जब फ्रांसीसी इस्पात भारत आए तो हम अपनी मर्जी से कर लगा सकते हैं क्योंकि खरीदार स्थानीय है और उसके पास कोई विकल्प नहीं है। यह इस्पात भारत आता है तो भारत में प्रवेश के समय भारतीय अधिकारी निवास आधारित कर लगाते हैं। इसे आयात पर वैट कहा जाता है। कुछ देशों में राजनीतिक बाधाएं हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ नियमत- नहीं चलते। इसकी वजह से भारतीय वस्तुएं दुबई भेजी जाती हैं। वहां से वे वस्तुएं पाकिस्तान निर्यात होती हैं। क्योंकि भारत-दुबई और दुबई-पाकिस्तान के बीच नियम कायदे चलते हैं।

जब देश वैश्वीकरण के नियमों का पालन नहीं करते तो ऐसा होता है। इससे पुलिसकर्मियों, कर अधिकारियों आदि का काम जटिल होने लगता है। इससे कर वंचना के मौके पनपते हैं। इस लिहाज से कहा जाए तो दुबई जैसे पुनर्निर्यात केंद्र उन केंद्रों की मदद करते हैं जो वैश्वीकरण के नियमों का पालन नहीं करते। ये विचार पूंजी के प्रवाह और अंतरराष्ट्रीय वित्त पर भी इसी प्रकार लागू होते हैं। सिंगापुर निफ्टी वायदा बनाता है और ब्रिटेन भी। अगर सिंगापुर किसी जापानी खरीदार पर मामूली सा कर भी लगा दे तो वह ऑर्डर ब्रिटेन जाएगा। ऐसे में रिहाइश आधारित कराधान ही एकमात्र तरीका है। हर देश अपने नागरिकों की वैश्विक आय पर कर लगाता है और अनिवासियों को रियायत देता है।

जरा उस जोखिम पर विचार कीजिए जो भारत सरकार के बॉन्ड से जुड़ा है जिसे विश्व बाजार में 6 फीसदी ब्याज चाहिए। मान लीजिए कि हम अनिवासियों पर कर लगाने की कोशिश करते हैं और उनसे 2 फीसदी कर मांगते हैं। इससे भारत सरकार के बॉन्ड की ब्याज दर बढ़कर 8 फीसदी हो जाएगी। भारत सरकार के बॉन्ड 8 फीसदी चुकाते हैं और 2 फीसदी राशि बतौर कर भारत को वापस भेज दी जाती है। पांच वर्षीय बॉन्ड का मूल्य ब्याज दर के 6 से 8 प्रतिशत हो जाने पर 10 फीसदी तक घट जाएगा।

ओईसीडी मुल्क और परिपक्व उभरते बाजार नियमों को समझते हैं और उनके मुताबिक कदम उठाते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो स्रोत आधारित कटौती के लिए लालायित हैं। इससे पुनर्निर्यात कारोबार को बढ़ावा मिलता है। कुछ कारोबारी लेनदेन पनामा के जरिये होते हैं क्योंकि पनामा की कई देशों के साथ संधियां हैं। जबकि कुछ अन्य मॉरीशस के जरिये क्योंकि भारत और मॉरीशस की कर संधि है।

अगर कोई जापानी निवेशक निफ्टी फ्यूचर कारोबार सिंगापुर, लंदन या शिकागो भेजता है तो उसे वहां कोई कर नहीं चुकाना होता है। इसलिए क्योंकि ये सभी देश संबंधित नियमों का पालन करते हैं। जब भारत इस गतिविधि पर कर लगो का प्रयास करता है तो यह कारोबार उससे छिन जाता है। इसका असर देश के सेवा उद्योग के निर्यात राजस्व पर पड़ता है। मॉरीशस समझौते की मौजूदगी के चलते नुकसान कुछ कम होता रहा। लेकिन यह नुकसान इस रास्ते भी पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सका।

जब देश वैश्वीकरण के नियमों का पालन नहीं करते हैं। तब ऐसे पुनर्निर्यात केंद्रों की आवश्यकता पड़ती है। इससे पुलिसकर्मियों, कर अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ती हैं। उनको हालात पर नजर रखने में मशक्कत करनी होती है। इससे करवंचना और अपराध के अवसर पैदा होते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो ये पुनर्निर्यात केंद्र ऐसे अड्डे हैं जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को गहरा करते हैं खासकर उन देशों के लिए जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं। वे इन देशों को होने वाले नुकसान को काफी हद तक सीमित कर देते हैं।

प्रवर्तन करने वालों की शिकायत है कि ये क्षेत्र कारोबारी लेनदेन की प्रक्रिया को अत्यधिक जटिल बना देते हैं और इससे उनकी समस्याएं बढ़ती हैं। हमें उनकी इस बात की अनदेखी करनी चाहिए। किसी पुलिसकर्मी का काम तभी आसान हो सकता है जब वह पुलिस शासित राज्य में हो। इन समस्याओं को समाप्त करने का रास्ता यही है कि हम अपनी कर नीति को आधुनिक बनाएं। हमने सोने की तस्करी सख्त कानूनों से नहीं रोकी बल्कि वैश्वीकरण के नियमों के पालन ने इसे रोकने में मदद की। यानी हमने सीमा शुल्क समाप्त करके इससे निजात पाई। कर नीति के सिद्धांत बहुत अहम हैं। ये भारत के बाहर होने वाली वित्तीय गतिविधियों, स्थायी प्रतिष्ठान, एफआईआई पर लगने वाले कर, कर संधियों, पनामा, एसटीटी आदि से संबंधित हैं।

# काले धन पर लगाम लगाने में कारगर साबित होगा डीटीएए समझौता

भारत लंबे समय से अपने वित्तीय क्षेत्र को पारदर्शी बनाने और काले धन पर लगाम लगाने के लिए (मॉरीशस के रास्ते)होने वाले वित्तीय लेनदेन पर अंकुश लगाना चाहता था। काफी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार अब वह वक्त करीब आ गया है। तीन दशक पहले हुए दोहरे कर वंचना समझौते (डीटीएए) की बदौलत हिंद महासागर का यह छोटा सा द्वीप राष्ट्र लंबे समय तक देश में पूंजी की आवक का पसंदीदा जरिया बना रहा। वर्ष 2000 से 2015 के बीच देश में आने वाली विदेशी पूंजी का एक तिहाई हिस्सा इसी रास्ते आया। उसमें से कुछ पूंजी तो सामान्य वैश्विक पूंजी थी जिसने भारतीय बाजार में आने के लिए अनुकूल रास्ता चुना लेकिन यह संदेह बरकरार रहा कि इस पूंजी में बड़ा हिस्सा उस काले धन का भी है जो घूमफिरकर वापस देश में आ रहा है। परंतु अब सरकार ने इस समझौते पर नए सिरे से चर्चा करके यह क्षमता हासिल कर ली है कि वह अप्रैल 2017 के बाद खरीदे जाने वाले शेयरों की बिक्री से मॉरीशस में होने वाले पूंजीगत लाभ पर कर लगा सके। इस समझौते से होने वाले लाभों को भी संशोधन के जरिये सीमित किया गया।

नए समझौते में एक प्रावधान यह सुनिश्चित करने का भी है कि दिखावटी कंपनियां डीटीएए का लाभ न लेने पाएं। केवल उन्हीं कंपनियों को डीटीएए का लाभ मिलेगा जिन्होंने बीते 12 महीने में मॉरीशस में 27 लाख रुपये से अधिक की राशि खर्च की होगी। डीटीएए में संशोधन करने वाले समझौते पर भारत और मॉरीशस ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसे बहुत सावधानी से तैयार किया गया है ताकि न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न हों।

पहले दो सालों के दौरान कर दर को सामान्य दर का आधा रखा गया है जबकि पूर्ण दर वित्त वर्ष 2019-20 के बाद लागू होगी। इस खामी को दूर करने के लिए सरकार को पूरा श्रेय दिया जाना चाहिए। भारत द्वारा काले धन पर शिकंजा कसने की बात कहने के बाद यह मार्ग खासतौर पर समस्या बना हुआ था। पहले भी इस रास्ते से निपटने की कोशिशें की गईं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शायद इसके लिए शेयर बाजार के प्रभावित होने की आशंका जिम्मेदार थी। बहरहाल, समझौते में संशोधन की खबर सामने आने के बाद बाजार ने सकारात्मक संकेत नहीं दिया लेकिन उसकी निराशा भी नहीं झलकी।

ऐसा इसलिए भी हुआ होगा क्योंकि यह एक उचित खामी को दूर करने का प्रयास है। धीरे-धीरे कर लगाने की बात ने भी बाजार का मिजाज ठंडा रखा है क्योंकि इसकी बदौलत वैध कंपनियां अपनी कर योजना में समय रहते बदलाव कर लेंगी। ऐसे में यह सच है कि सरकार को आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के सदस्य देशों के साथ बेस इरोजन ऐंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (बीईपीएस) समझौते पर हस्ताक्षर के चलते पेशकदमी करनी पड़ी लेकिन फिर भी इतने सुगढ़ तरीके से योजना बनाने और क्रियान्वयन का पूरा श्रेय उसे दिया जाना चाहिए।

अब अन्य कम कर दर वाले क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिनके साथ भारत का ऐसा ही समझौता है। अच्छी बात यह है कि सिंगापुर के साथ कर रियायत समझौता मॉरीशस डीटीएए से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अब चूंकि मॉरीशस वाला रास्ता बंद हो गया है तो सिंगापुर में भी ऐसे निवेश से जुड़े लाभ खत्म होने शुरू हो जाएंगे। यह उम्मीद भी की जानी चाहिए कि डीटीएए में सुधार के साथ और सामान्य कर वंचना नियमों (जीएएआर) के क्रियान्वयन के साथ देश की कर व्यवस्था 21वीं सदी की ओर बढ़ रही है। देश के लिए ये अच्छा संकेत है।

# 'भेड़िया आया' का रोना रोकर बैंकों ने घटाई विश्वसनीयता

लंदन। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि बैंक अधिकारियों के बार-बार भेड़िया आया, भेड़िया आया (संकट का रोना) करते रहने से उनकी विश्वसनीयता कम हो सकती है। उन्होंने वृद्धि को गति देने के लिए कड़े पूंजी नियंत्रण उपायों को आसान बनाने के लिए अपने मामले का समर्थन किया। बेबाक टिप्पणी के लिए चर्चित गवर्नर ने भारत में स्थिति की तुलना औद्योगिक देशों में लघु और मझोले उद्यमों से की और कहा कि दोनों परिदृश्य में तीव्र वृद्धि प्रमुख कारक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष में मुख्य अर्थशास्त्री की भूमिका निभा चुके राजन ने कहा कि वित्तीय संकट के बाद के परिदृश्य में बैंक पर पूंजी रखने की मांग महंगी पड़ी है।

राजन ने कहा कि वित्तीय संकट के बाद के दौरान में बैंकों से ज्यादा पूंजी रखने के लिए कहने का तुक बनता था। लेकिन बैंक जो चिंता जाहिर करते रहे हैं उनमें से एक यह है कि भेड़िया आया, भेड़िया आया की आवाज बार बार निकालने के कारण यदि बैंकों की विश्वसनीयता काफी कम भी हो, उसमें अंततः जोखिम भरा कर्ज देने से कतराने की इच्छा बढती ही है।

बैंकों के रवैये पर भड़के रिजर्व बैंक गवर्नर, कहा- 'भेड़िया आया' का रोना रोने से घटी है विश्वसनीयता राजन ने कहा कि आज उसकी कुछ बातें हमें दिखाई दे रही हैं। निश्चित तौर पर एक उभरते बाजार के केंद्रीय बैंक नियामक के तौर पर मैं देख रहा हूं कि विदेशी बैंकों ने हमारे यहां नई शाखाएं खोलनी बंद कर दी हैं।

क्योंकि हमारी क्रेडिट रेटिंग बीएए है जिसका अर्थ है 'अपेक्षाकृत अधिक जोखिम'। उस लिहाज से अंतरराष्ट्रीय बैंकों, जिन्हें भारत में निवेश करने के लिए कहा जा रहा है, उन्हें लगता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है क्योंकि उन्हें बहुत सी पूंजी अलग रखनी पड़ेगी।

भारत को विभिन्न वैश्विक एजेंसियों ने उच्च जोखिम की संभावना के साथ निवेश श्रेणी की न्यूनतम रेटिंग प्रदान की है। वृद्धि और पूंजी प्रवाह के बारे में बात करते हुए राजन ने कहा कि इसलिए हमें अपने-आप से पूछने की जरूरत है कि क्या ज्यादा पूंजी प्रावधान ठीक है या फिर यह बैंकों की गतिविधियों का अतिक्रमण है। इसलिए अनुभवजन्य विचार की जरूरत है कि पूंजी का क्या सही स्तर है।

राजन ने कहा कि बैंकों का परिचालन क्यों होता है, इसकी वजह है। बैंकों को खत्म करने के ये प्रस्ताव, मेरे लिहाज से प्रणाली को गंभीर नुकसान करेंगे और इससे वित्त की लागत बढ़ेगी। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि हम प्रणालीगत संकट के परिणाम को समझते हैं। वे गंभीर हैं और वे मुश्किलें हैं इसलिए वैश्विक वित्तीय संकट के दौर से अधिक पूंजी की जरूरत पड़ी लेकिन हमें इस दिशा में ज्यादा आगे बढ़ने के प्रति सावधान रहना चाहिए।

# बैंक क्रेडिट रेटिंग स्कोर वेदवाक्य नहीं

चेन्नई, (आईएएनएस)। बैंकों को कर्ज लेने वालों के क्रेडिट रेटिंग को सिर्फ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की अपनी राय समझनी चाहिए और इसे वेदवाक्य नहीं समझना चाहिए। यह बात एसोचैम और प्राइसवाटरहाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) द्वारा कराए गए एक अध्ययन में कही गई है।

एसोचैम की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, बैंकों को क्रेडिट रेटिंग को सिर्फ राय समझना चाहिए और इसे वेदवाक्य नहीं समझना चाहिए और दिए जाने वाले ऋण की उपयुक्तता तय करने के लिए कर्ज लेने वालों की रेटिंग से मिलने वाली सूचनाओं को बैंकों के अपने क्रेडिट जोखिम ढांचे के तहत उपयोग करना चाहिए।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की प्रभावोत्पादकता शीर्षक वाले अध्ययन में कहा गया है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) की प्रभावोत्पादकता में हो रहे सुधार को संपूर्णता में देखा जाना चाहिए, जहां परितंत्र के सभी पक्षों को ऋण जोखिम मूल्यांकन और निगरानी के बेहतर प्रणाली के लिए काम करने की जरूरत है। इन पक्षों में नियामक, सीआरए, कंपनियां, निवेशक (बैंक), कर्जधारक शामिल हैं।

अध्ययन के मुताबिक, पिछले कुछ साल में बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के स्तर में हुई वृद्धि के कारण बैंकों का ऋण जोखिम मूल्यांकन, प्रशासन और निगरानी चर्चा के केंद्र में आ गया है।

मजबूत नियामकीय ढांचा स्थापित करने के अलावा बैंकों को सीआरए द्वारा दी गई रेटिंग के मूल्यांकन के लिए छानबीन करने के कौशल में भी सुधार करना चाहिए।

# मकानों की जमाखोरी को छुपाकर बढ़ी आय दिखा रहा है चीन

आकाश प्रकाश

**चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार अचल संपत्ति में निवेश और वृद्धि से संबंधित है। परंतु वह अभी पूरी तरह संकट से बाहर नहीं है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं आकाश प्रकाश**

चीन की अर्थव्यवस्था में हाल के दिनों में जो स्थिरता देखने को मिली है उसका सबसे अहम कारक अचल संपत्ति के निवेश में आया नाटकीय बदलाव है। वर्ष 2016 की पहली तिमाही में इस क्षेत्र के निवेश में 6.2 फीसदी का इजाफा हुआ जबकि गत वर्ष यह महज एक फीसदी रहा था। वर्ष 2016 की बात करें तो अधिकांश विश्लेषकों का कहना है कि अचल संपत्ति क्षेत्र की परिसंपत्तियों में होने वाले निवेश में कमी देखने को मिलेगी।

इसके लिए नए निर्माण संबंधी गतिविधियों में 20 फीसदी की गिरावट और परिसंपत्तियों की बिक्री में तीन से पांच फीसदी गिरावट को वजह बताया गया। यह नकारात्मक अवधारणा अनबिके मकानों की बढ़ती संख्या तथा वाणिज्यिक क्षेत्र की अचल संपत्ति की अतिरिक्त उपलब्धता के कारण बनी थी। पारंपरिक नजरिया यही था कि अचल संपत्ति क्षेत्र के निवेश में सुधार आने में साल दो साल का वक्त लगेगा। वैश्विक जिंस कीमतों में गिरावट ने भी चीन के नए निर्माण की मांग कम रहने की आशंका को बल दिया था।

ऐसे में यह सवाल तो बनता है कि अचल संपत्ति के माहौल में इस बदलाव को कितना स्थायी माना जाए? क्या चीन केवल आवास क्षेत्र की तेजी के बल पर वृद्धि कायम कर लेगा? अगर यह वृद्धि अस्थायी है तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम केवल आर्थिक पुनर्गठन को टाल रहे हैं और वृद्धि के कारकों में बदलाव की अनदेखी कर रहे हैं? क्या मौजूदा वृद्धि के बाद 2017 में एक बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि अचल संपत्ति के निवेश में आ रही उछाल कभी तो गिरेगी? निवेशक भले ही चीन में स्थिरता का जश्न मना रहे हों लेकिन जिंस कीमतों में बदलाव आ सकता है।

अचल संपत्ति में इस सुधार का निर्णायक बिंदु नजर आ रहा है कि चीन के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मकानों की बिक्री पर जोर देना। गत दिसंबर में शी चिनफिंग ने यह बात जोर देकर कही। स्थानीय सरकारों ने इस संकेत को समझकर बिक्री पर जोर दिया। फरवरी में न्यूनतम डाउनपेमेंट की राशि घटाकर 20 प्रतिशत कर दी गई और लेनदेन कर में भी कमी की गई। केंद्रीय बैंक ने भी बैंकों को आवास ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया। इसकी बदौलत पहली तिमाही में इसकी राशि बढ़कर 10 खरब रेनमिनबी से ऊपर निकल गई। जबकि वर्ष 2015 में पूरे साल के दौरान यह 27 खरब रेनमिनबी रहा था।

पहली तिमाही में चीन में घरों की बिक्री 33 प्रतिशत बढ़ी। जबकि दिसंबर 2015 में इसमें दो फीसदी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। इस बढ़ोतरी का असर कीमतों पर पडना स्वाभाविक था। चीन के पहले दर्जे के शहरों में कीमतें पिछले चक्र के उच्चतम स्तर के समान ही बढ़ गई थीं। अब यह दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में भी देखने को मिल रहा है। बिक्री बढने के बाद निवेश आना तय था।

ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो चीन के अधिकारियों ने आवास कीमतों के लंबी अवधि के रुख से अलग होने को देखते हुए आवास और ऋण नीतियों को सख्त बनाने का काम किया है। ऐसा राजनीतिक वजहों से किया जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवास युवा और मध्य वर्ग की पहुंच से बाहर न हो जाएं। जब कीमतों में तेज बढ़ोतरी शुरू हो जाती है तो किसी न किसी स्तर पर केंद्र सरकार परिसंपत्ति बाजार को राहत देने का काम करती है।

चीन के नीति निर्माता ऐतिहासिक रूप से ऐसा ही व्यवहार करते आए हैं। हो सकता है इस बार भी कीमतों के हाथ से निकलने पर वे हस्तक्षेप करें। अगर ऐसा हुआ तो उसका असर बिक्री और नए निर्माण और निवेश पर पड़ेगा। जरूरी नहीं कि यह तत्काल हो लेकिन इस जोखिम के लिए तैयार रहना होगा। संपत्ति बाजार के सुधार पर एक और नजरिया अनबिके मकानों से संबंधित है। वैश्विक निवेश शोध संस्थान गावेकल ने क्षेत्रीय स्तर के आंकड़ों की गहन पड़ताल करके इस सुधार के आधार को समझने का प्रयास किया है। उनके निष्कर्ष कुछ इस प्रकार हैं-

अनबिके मकानों ने इस बाजार को क्षेत्रीय स्तर पर बहुत मंदा कर दिया था लेकिन अब 13 प्रांतों में अनबिके मकानों की संख्या कम हुई है। यहां नए मकानों का निर्माण समझ में आता है। शेष 18 प्रांतों में अनबिके मकानों की संख्या शायद ही कम हुई हो। 10 प्रांतों की बात करें तो उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। इन क्षेत्रों में निर्माण में सुधार की कोई संभावना नहीं नजर आती। शोध संस्थान ने यह भी साबित करने की कोशिश की कि निर्माण की सेहत में उन जगहों पर सुधार हो रहा है जहां मकान बिके हैं और नए मकानों के निर्माण की आवश्यकता है। यह परखना होगा कि क्या पूरे चीन में निवेश सुधरा है? उन इलाकों में भी जहां अनबिके मकान अधिक हैं?

विश्लेषण बताता है कि 13 स्वस्थ राज्यों में अचल संपत्ति क्षेत्र का निवेश गत नवंबर में एकदम निचले स्तर पर पहुंच गया। फरवरी में इसमें एक फीसदी का सुधार हुआ। जिन 18 राज्यों में हालात अनुकूल नहीं थे वहां अचल संपत्ति निवेश 6 फीसदी और तेजी से बढ़ा और विनिर्माण की दर 23 फीसदी रही। इन इलाकों में निर्माण गतिविधियों को देखते हुए सबसे जाहिर सफाई यही हो सकती है कि निवेश को बढ़ावा राज्य की ओर से मिल रहा है। अगर यह सच है तो यह घोषित नीति से उलट है।

इन आंकड़ों की मानें तो राष्ट्रीय स्तर पर अनबिके मकानों का कम होना बहुत तेज नहीं हुआ है। ऐसे में इस सुधार की सफलता पर प्रश्नचिह्न लग गया है। ऐसा लगता है कि कुछ ही राज्यों में आवास क्षेत्र में उचित सुधार हुआ है। जाहिर है जहां मांग नहीं है वहां यह निवेश आगे और अनबिके मकान तैयार करने का काम ही करेगा। जाहिर है मौजूदा प्रोत्साहन समाप्त होने के बाद एक बार फिर विनिर्माण क्षेत्र में बहुत तेज गिरावट देखने को मिल सकती है।

चीन की वृद्धि के आंकड़ों का दुनिया भर के निवेशकों ने स्वागत किया है। इसने एक साथ जिंस, उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्रा और परिसंपत्तियों को सहारा दिया। बहरहाल इस स्थिरता का स्रोत काफी हद तक अचल संपत्ति के निवेश में सुधार से संबंधित है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसकी बुनियाद बहुत मजबूत नहीं है। हो सकता है इसकी वजह से वर्ष 2017 में हमें एक और तीव्र गिरावट का सामना करना पड़ जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि चीन की अर्थव्यवस्था में आ रही तेजी निवेश के पुराने कारकों पर निर्भर नहीं है। यानी डेढ़ महीने पहले तक चीन की वृद्धि को लेकर जो आशंकाएं थीं वे पुनः सर उठा सकती हैं। बतौर निवेशक हमें इस जोखिम से अवगत रहना होगा और इसकी करीबी निगरानी करनी होगी। न तो चीन और न ही सभी उभरते बाजार मिलकर अभी संकट से पूरी तरह बाहर आ सके हैं।चीन की इस करतूत पर हमें गंभीरता से विचार करना ही होगा।

# बंद करो विकास में अड़ंगा लगाती नस्लवादी पढ़ाई

केंद्र ने एएमयू से अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा छीन लेने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की थी. पिछली केंद्र सरकार द्वारा 2006 में दायर की गई इस अपील को मोदी सरकार अब वापस लेना चाहती है. इसीलिए उसने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है.

अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गूगल इस सवाल का जवाब 'सर सैयद अहमद खान' देता है. यह सवाल कई सालों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता रहा है. अब तक सरकारी परीक्षाओं में भी इस सवाल का सही जवाब 'सर सैयद अहमद खान' को ही माना जाता रहा है. लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार ने इसे सही मानने से इनकार कर दिया है. उसके अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा और हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने निर्णय का हवाला देकर कहा है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है क्योंकि उसकी स्थापना मुस्लिम समुदाय ने नहीं बल्कि अंग्रेज सरकार ने की थी.

केंद्र ने एएमयू से अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा छीन लेने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की थी. पिछली केंद्र सरकार द्वारा 2006 में दायर की गई इस अपील को मोदी सरकार अब वापस लेना चाहती है. इसीलिए उसने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. तो अब सवाल यह उठता है कि जो हम बचपन से पढ़ते आये हैं और जो गूगल हमें दिखाता है, क्या वह गलत है? क्या एएमयू को सैयद अहमद खान ने नहीं बल्कि अंग्रेज सरकार ने ही स्थापित किया था?

पहली नज़र में ये सवाल जितना लगते हैं उससे भी ज्यादा जटिल हैं और महत्वपूर्ण भी. क्योंकि साफ है कि यदि यह साबित हो जाता है कि एएमयू की स्थापना सर सैयद खान या मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की थी तो उसका 'अल्पसंख्यक संस्थान' का दर्जा बना रहेगा. इस मामले को पूरी तरह से समझने के लिए इसकी जटिलताओं को सुलझाने की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से कभी एएमयू की शुरुआत हुई थी.

तत्कालीन भारत सरकार ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के सामने यह शर्त रखी थी कि यदि वे तीस लाख रूपये जुटा लेते हैं, तभी यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है.

बात 1870 की है. मुस्लिम विद्वान और समाजसेवी सर सैयद अहमद खान मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन को लेकर काफी चिंतित थे. वे इसका मूल कारण मुस्लिम समुदाय द्वारा आधुनिक शिक्षा की उपेक्षा को मानते थे. उन्हें लगता था कि धार्मिक और सांस्कृतिक बातों के साथ ही मुस्लिम समुदाय को साहित्य और विज्ञान की उदार समझ होना भी जरूरी है. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए एक संस्थान बनाने की कल्पना की. मई 1872 में उनके द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था 'मोहमदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज फंड कमेटी.' इस समिति ने सर सैयद की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए कार्य करना शुरू किया.

समिति की एक साल की मेहनत के बाद मई 1873 में एक छोटे बच्चों के स्कूल की स्थापना की गई जो 1876 में हाई स्कूल बन गया. इसके अगले ही साल, 1877 में तत्कालीन वाइसराय लार्ड लिटन ने इसे एक कॉलेज – मोहमदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज – बनाने की नींव रखी. 1898 में जब सर सैयद की मृत्यु हुई, तब तक यह कॉलेज एक समृद्ध संस्थान के रूप में अपनी पहचान बना चुका था.

माना जाता है कि सर सैयद का मूल उद्देश्य एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का था और वे कई बार अपनी यह इच्छा जाहिर कर चुके थे. उनकी मृत्यु के बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की मांग साल-दर-साल मजबूत होती गई. 1911 में एक 'मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन' बनाई गई जिसका उद्देश्य अलीगढ में एक शैक्षिक यूनिवर्सिटी स्थापित करना था. इस एसोसिएशन और तत्कालीन भारत सरकार के बीच कई सालों तक वार्ताएं-चर्चाएं हुईं और अंततः 1920 में अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गठन कर दिया गया. यहां यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि तत्कालीन भारत सरकार ने एसोसिएशन के सामने यह शर्त रखी थी कि यदि वे तीस लाख रूपये जुटा लेते हैं, तभी यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है. एसोसिएशन ने इस शर्त को स्वीकार किया और यह रकम जुटाने के बाद ही अंग्रेज सरकार ने 'अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट' पारित करके यूनिवर्सिटी का गठन किया.

1920 से लेकर देश की आज़ादी तक एएमयू के प्रबंधन या संचालन में कोई दिक्कत नहीं आई. लेकिन आज़ादी के बाद जब भारतीय संविधान लागू किया गया तब 1920 के एएमयू एक्ट में कुछ जरूरी संशोधन किये गए

मोहमदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज ही एएमयू का आधार था. सरल शब्दों में कहें तो इसी कॉलेज को 'अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी' में बदला गया था. इस कॉलेज के साथ ही 'मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन' की तमाम संपत्ति और कोष को भी यूनिवर्सिटी में समाहित कर लिया गया था. 1920 के 'एएमयू एक्ट' में यह भी प्रावधान था कि यूनिवर्सिटी की 'कोर्ट' नामक सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई में सभी सदस्य अनिवार्य रूप से मुस्लिम ही होंगे. साथ ही यूनिवर्सिटी में अनिवार्यतः इस्लामिक पढ़ाई कराए जाने का भी जिक्र भी इस एक्ट में था.

1920 से लेकर देश की आज़ादी तक एएमयू के प्रबंधन या संचालन में कोई दिक्कत नहीं आई. लेकिन आज़ादी के बाद जब भारतीय संविधान लागू किया गया तब 1920 के एएमयू एक्ट में कुछ जरूरी संशोधन किये गए. इन संशोधनों के जरिये यूनिवर्सिटी के कोर्ट में सभी सदस्यों के मुस्लिम होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया. साथ ही इस्लामिक पढ़ाई की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया. 1951 और 1965 में हुए ये संशोधन इसलिए किये गए थे कि एएमयू एक्ट के ये प्रावधान भारतीय संविधान के प्रावधानों से मेल नहीं खाते थे. लेकिन मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को यह संशोधन अपने अधिकारों पर चोट पहुंचाने वाले लगे और इसलिए 1965 में पहली बार एएमयू का मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा.

अज़ीज़ बाशा नाम से मशहूर इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने की. यहां मुस्लिम समुदाय ने तर्क दिया कि, 'भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने और विकसित करने के लिए अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का मौलिक अधिकार है. लिहाजा 1951 और 1965 में जो संशोधन भारत सरकार ने किये हैं, वे मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं.'

इस सबके बावजूद भी कानून की तकनीकी समझ यह नहीं मानती कि एएमयू की स्थापना मुस्लिम समुदाय ने की थी. सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले को विशुद्ध तकनीकी तौर पर देखा और 1967 में यह फैसला सुना दिया कि एएमयू की स्थापना मुस्लिम समुदाय ने नहीं बल्कि तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने की थी

अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार का दावा करने के लिए यह जरूरी है कि शैक्षिक संस्था को किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किया गया हो. इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को अज़ीज़ बाशा मामले में यह तय करना था कि एएमयू की स्थापना मुस्लिम समुदाय ने की थी या नहीं.

मोटे तौर से देखें तो इसमें कोई संदेह नहीं लगता कि एएमयू की स्थापना मुस्लिम समुदाय ने ही की थी. पहले सर सैयद के प्रयासों से एक समिति बनी थी. इस समिति ने फिर अपने ही प्रयासों से एक स्कूल बनाया जिसे पहले हाई स्कूल और फिर कॉलेज में तब्दील किया गया. और अंततः मुस्लिम समुदाय के प्रयासों से ही इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी भी बनाया गया. साथ ही यूनिवर्सिटी बानने के लिए मुस्लिम समुदाय ने तीस लाख रूपये (जो 1920 में बहुत बड़ी रकम थी) भी अपने ही प्रयासों से जमा किये थे. लेकिन इस सबके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को विशुद्ध तकनीकी तौर पर देखा और 1967 में यह फैसला सुना दिया कि एएमयू की स्थापना मुस्लिम समुदाय ने नहीं बल्कि तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने की थी.

सर्वोच्च न्यायालय की संवैधनिक पीठ ने ऐसा इसलिए माना क्योंकि जिस 'एएमयू एक्ट' के तहत एएमयू का गठन हुआ था वह एक संसदीय अधिनियम था जिसे तत्कालीन केंद्र सरकार ने पारित किया था. न्यायालय ने माना कि यदि मुस्लिम समुदाय चाहता तो 1920 में एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकता था. उस दौर में ऐसा कोई कानून नहीं था जो उसे ऐसा करने से रोकता हो. ऐसा कानून 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के गठन के बाद बना. अब यूजीसी की अनुमति के बिना कोई भी विश्विद्यालय स्थापित नहीं किया जा सकता. लेकिन 1920 में ऐसा किया जा सकता था.

'मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन' ने कई सालों के संघर्ष के बाद सरकार को एएमयू के गठन के लिए राजी किया था. इसके लिए मुस्लिम समुदाय ने तीस लाख की रकम के साथ ही 'मोहमदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज' और 'मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन' की संपत्ति भी उसे दी थी

सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि यदि मुस्लिम समुदाय ने निजी विश्वविद्यालय की जगह संसदीय अधिनियम के जरिये स्थापित हुए विश्वविद्यालय को चुना तो यह कैसे माना जा सकता है कि इसकी स्थापना मुस्लिम समुदाय ने की थी. न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि 'यह हो सकता है कि 1920 का अधिनियम मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रयासों से ही पारित हुआ हो. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस अधिनियम से जो यूनिवर्सिटी स्थापित हुई, वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने स्थापित की थी.'

व्यावहारिक तौर पर देखें तो एएमयू के गठन के लिए मुस्लिम समुदाय के पास 1920 में ज्यादा विकल्प थे नहीं. सरकारी मान्यता वाली डिग्री के लिए उन्हें जिस यूनिवर्सिटी की जरूरत थी, वह सिर्फ सरकारी एक्ट से ही बन सकती थी. इसलिए 'मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन' ने कई सालों के संघर्ष के बाद सरकार को एएमयू के गठन के लिए राजी किया था. इसके लिए मुस्लिम समुदाय ने तीस लाख की रकम के साथ ही 'मोहमदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज' और 'मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन' की वह संपत्ति भी दी थी जो अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ही दान की गई थी.

इसके अलावा तब मुस्लिम समुदाय को इस बात का तो भान भी नहीं रहा होगा कि 1947 में यह देश आजाद होगा और उसके बाद बने उसके संविधान में कुछ ऐसा होगा जो एएमयू पर खड़े आज के सवालों को जन्म देगा. लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 30 में मौजूद उस कानूनी पेंच को ज्यादा अहमियत दी जिसके अनुसार किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित हुई यूनिवर्सिटी को एक समुदाय द्वारा स्थापित नहीं माना जा सकता था. इस फैसले के साथ ही पहली बार घोषित रूप से एएमयू का 'अल्पसंख्यक' दर्जा छिन गया.

1977 में बनी जनता पार्टी सरकार की कैबिनेट ने – जिसमें वाजपेयी और आडवाणी भी शामिल थे – एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के लिए एक संशोधन को मंजूरी दे दी थी. यह संशोधन सदन के पटल पर लाया भी गया लेकिन इसके पारित होने से पहले ही वह सरकार गिर गई

अज़ीज़ बाशा मामले का एक पहलू यह भी है कि इसकी सुनवाई के दौरान एएमयू न्यायालय में मौजूद ही नहीं था. यानी यह फैसला एएमयू को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना ही दे दिया गया था. दरअसल, 1951 और 1965 के संशोधनों को एएमयू ने नहीं बल्कि कुछ अन्य मुस्लिम लोगों ने चुनौती दी थी. इन्हीं

*(शेष भाग पेज सात पर पढ़िए )*

# बंद करो विकास में अड़ंगा लगाती नक्सलवादी पढ़ाई

**अक्टूबर 2005 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज जस्टिस अरुण टंडन ने इस मामले में फैसला देते हुए एएमयू का 'अल्पसंख्यक दर्जा' एक बार फिर से छीन लिया. न्यायालय ने 1967 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सही माना और 1981 में किये गए संशोधनों को असंवैधानिक करार दिया. एएमयू के साथ ही तब की मनमोहन सरकार ने भी जस्टिस टंडन के इस फैसले का विरोध किया और उच्च न्यायालय की ही दो जजों की पीठ के समक्ष इस फैसले को चुनौती दी. 2006 की शुरुआत में इस पीठ ने भी अपना फैसला सुना दिया. पीठ ने जस्टिस टंडन के फैसले को ही सही बताया और माना कि एएमयू की स्थापना मुस्लिम समुदाय ने नहीं बल्कि तत्कालीन सरकार ने की थी लिहाजा उसे 'अल्पसंख्यक का दर्जा' नहीं दिया जा सकता.**

लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुना दिया था. इस फैसले के बाद बड़े पैमाने पर यह मांग उठने लगी कि एएमयू का 'अल्पसंख्यक चरित्र' बरकरार रखा जाए और उसे यह दर्जा दिया जाए. यह मांग धीरे-धीरे इतनी बढ़ गई कि कुछ ही समय में एक चुनावी मुद्दा बन गई.

70 के दशक में सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं बल्कि अन्य दलों ने भी लोगों से एएमयू के अल्पसंख्यक चरित्र को बरकरार रखने का वादा किया. 1977 में बनी जनता पार्टी सरकार की कैबिनेट ने - जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल थे - एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के लिए एक संशोधन को भी मंजूरी दे दी थी. यह संशोधन सदन के पटल पर लाया भी गया लेकिन इसके पारित होने से पहले ही वह सरकार गिर गई. इसके बाद हुए चुनावों में कांग्रेस और जनता पार्टी, दोनों ने अपने-अपने चुनावी घोषणापत्रों में एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा लौटाने का वादा किया.

1981 में अंततः कांग्रेस सरकार ने एएमयू एक्ट में संशोधन कर दिए. इन संशोधनों से 1967 का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पलट दिया गया और 1920 के मूल एक्ट की प्रस्तावना तक में बदलाव कर दिए गए. 1920 के एक्ट में दी गई 'यूनिवर्सिटी' की परिभाषा को भी इस संशोधन के जरिये बदल दिया गया. मूल एक्ट में लिखा गया था 'यूनिवर्सिटी मतलब अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी.' 1981 में इसे संशोधित कर लिखा गया, 'यूनिवर्सिटी मतलब भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया उनकी पसंद का शैक्षिक संस्थान, जिसका जन्म मोहमदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ के रूप में हुआ था और जिसे बाद में अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया.'

1981 के संशोधन का किसी ने भी विरोध नहीं किया था. तब से यह मामला लगभग शांत हो चुका था और 2005 तक शांत ही रहा. लेकिन 2005 में एएमयू के एक फैसले ने फिर से इस विवाद को हवा दे दी.

एएमयू की वकालत कर रहे अधिवक्ता बहार यू बर्की के अनुसार 1981 में जब कांग्रेस ने संसद में इन संशोधनों का प्रस्ताव रखा था तो जनता पार्टी ने भी इसका समर्थन किया था. उस दौर में भाजपा उपाध्यक्ष रहे राम जेठमलानी और जनता पार्टी से तत्कालीन सांसद रहे सुब्रमण्यम स्वामी भी इन संशोधनों के समर्थन में थे. 1981 में ही ये संशोधन संसद से पारित भी हो गए और एएमयू को उसका अल्पसंख्यक दर्जा वापस मिल गया.

1981 के संशोधन का किसी ने भी विरोध नहीं किया था. तब से यह मामला लगभग शांत हो चुका था और 2005 तक शांत ही रहा. लेकिन 2005 में एएमयू के एक फैसले ने फिर से इस विवाद को हवा दे दी. एएमयू ने साल 2005 से मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत आरक्षण मुस्लिम छात्रों को देने की व्यवस्था कर दी. 2005 से पहले यहां 75 प्रतिशत आरक्षण एएमयू के ही आंतरिक छात्रों (किसी भी धर्म के) के लिए हुआ करता था जबकि 25 प्रतिशत सीटों पर कोई आरक्षण नहीं था. 50 प्रतिशत आरक्षण मुस्लिम छात्रों को दिए जाने के एएमयू के फैसले को कुछ छात्रों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी और इस तरह से यह मामला एक बार फिर से विवादों और न्यायालयों में आ गया.

अक्टूबर 2005 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज जस्टिस अरुण टंडन ने इस मामले में फैसला देते हुए एएमयू का 'अल्पसंख्यक दर्जा' एक बार फिर से छीन लिया. न्यायालय ने 1967 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सही माना और 1981 में किये गए संशोधनों को असंवैधानिक करार दिया. इसके साथ ही न्यायालय से 50 प्रतिशत आरक्षण मुस्लिम छात्रों को देने के फैसले को भी गलत बताते हुए इस पर रोक लगा दी. एएमयू के साथ ही तब की मनमोहन सरकार ने भी जस्टिस टंडन के इस फैसले का विरोध किया और उच्च न्यायालय की ही दो जजों की पीठ के समक्ष इस फैसले को चुनौती दी. 2006 की शुरुआत में इस पीठ ने भी अपना फैसला सुना दिया. पीठ ने जस्टिस टंडन के फैसले को ही सही बताया और माना कि एएमयू की स्थापना मुस्लिम समुदाय ने नहीं बल्कि तत्कालीन सरकार ने की थी लिहाजा उसे 'अल्पसंख्यक का दर्जा' नहीं दिया जा सकता.

आम तौर पर किसी एक सरकार के फैसले को अगली सरकार भी बरकरार रखती है. इसीलिए भाजपा सरकार द्वारा अपील वापस लेने पर न्यायालय ने भी मुकुल रोहतगी से सवाल किया था कि 'क्या यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि केंद्र में सरकार अब बदल चुकी है.' इसके जवाब में रोहतगी का कहना था कि वे पिछली सरकार के एक गलत कदम को सुधार रहे हैं.

इस फैसले के खिलाफ भी अपील हुई और मामला अंततः सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया. साल 2006 में एएमयू के साथ ही तत्कालीन केंद्र सरकार ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी. तभी से यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित था. अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अपील वापस लेने का फैसला किया है.

आम तौर पर किसी एक सरकार के फैसले को अगली सरकार भी बरकरार रखती है और सिर्फ इसलिए कोई फैसला नहीं बदला जाता क्योंकि उसे किसी विपक्षी दल की सरकार ने लिया था. इसीलिए इसी साल अप्रैल में अपील को वापस लेने की सूचना देने पर न्यायालय ने मुकुल रोहतगी से सवाल किया था कि 'क्या यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि केंद्र में सरकार अब बदल चुकी है.' इसके जवाब में रोहतगी का कहना था कि वे पिछली सरकार के एक गलत कदम को सुधार रहे हैं.

वैसे अपने फैसले को सही ठहराने के लिए मौजूदा केंद्र सरकार के पास कई मजबूत तर्क हैं- उसके पास कई अदालतों के निर्णय हैं जो उस कानूनी पेंच पर टिके हैं जो कहता है कि किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित हुई यूनिवर्सिटी को एक समुदाय द्वारा स्थापित नहीं माना जा सकता था. लेकिन यदि व्यावहारिक होकर इस पूरे मुद्दे को देखा जाए तो तमाम पहलू यही इशारा करते हैं कि एएमयू की स्थापना मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही की थी. अदालत ऐसा नहीं करती लेकिन राजनीतिक नेतृत्व ऐसा कर सकता है. मौजूदा सरकार चाहती तो कानूनी उलझन के दायरे से एएमयू को निकालकर उसे फिर से अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिला सकती थी. कुछ-कुछ वैसे ही जैसे 1980 के दशक में कांग्रेस से लेकर जनता पार्टी और जनसंघ तक ने मिलकर एएमयू को दिलाया था. लेकिन यह तभी संभव होता जब मौजूदा भाजपा नेतृत्व भी वैसा ही नजरिया रखती। जैसा कि उसके मार्गदर्शकों ने 80 के दशक में रखा था। आज के बदले हालात में सरकार से ये अपेक्षा करना भी उचित नहीं है।

# झूठा शपथ पत्र देकर फंस गए गोपाल भार्गव

*(पेज एक का शेष भाग )*

साक्ष्य को पूरा सहयोग करेंगे। इसके अलावा वे आपराधिक गतिविधियों से भी दूर रहेंगे। इन शर्तों का उल्लंघन करने पर उक्त जमानत आदेश स्वतः निरस्त समझा जाए। हमारे ब्यूरोप्रमुख का कहना है कि आरोपी गोपाल भार्गव ने कंडिका 3 की शर्तों का जिसमें न्यायालय ने आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी थी उसका उल्लंघन कर दिया है। वे झूठा शपथ पत्र निर्वाचन अधिकारी को देने के बाद आपराधिक एवं धोखाघड़ी का कृत्य कर चुके हैं। इससे उनकी जमानत स्वतः निरस्त समझी जानी चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वे शपथ लेकर मंत्री पद के दायित्वों का निर्वहन भी करते रहे हैं। 2008 के चुनाव के बाद वे 2013 में भी निर्वाचन अधिकारी के सामने शपथ पत्र देने पहुंचे उसमें भी उन्होंने आपराधिक प्रकरण और जमानत पर रिहा होने की जानकारी नहीं दी थी। शपथ पत्र और हस्ताक्षरित वकालतनामे की प्रतियां हमारे संवाददाता के पास उपलब्ध हैं।आरोपी गोपाल भार्गव अपनी सफाई में कहते रहे हैं कि ये प्रकरण झूठी और मनगढंत निजी शिकायत है। ये दीवानी प्रकृति का मामला है जबकि न्यायालय इसे फौजदारी प्रकरण मानता है। भारतीय दंड विधान की धारा 167 में आपराधिक प्रकरण में तीन साल के दंड का विधान है।

गौरतलब है कि हालिया मंत्रिमंडल के विस्तार में बाबूलाल गौर और सरताज सिंह को इसलिए मंत्रीपद से हटा दिया गया कि वे 75 साल की सीमा पार कर चुके हैं। जबकि उम्र दराज होना संविधान के अनुसार अयोग्यता की श्रेणी में नहीं आता है। जबकि आपराधिक प्रकरण छुपाने के लिए झूठ बोलना नैतिक पतन के साथ साथ आपराधिक कृत्य भी है। अपराध की गंभीरता तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब झूठ बोलने के अभ्यस्त आरोपी को सरकार में मंत्रीपद देकर उसे करोड़ों रुपए खर्च करने की सिफारिश करने का अधिकार दे दिया जाता है। इस मामले में गोपाल भार्गव का कहना है कि कि मैंने अनुच्छेद 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में प्रकरण को रद्द करने की याचिका दी है। जो अभी लंबित है। जबकि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि प्रकरण माननीय न्यायालय ने साक्ष्य के पर्याप्त आधार के अनुसार पंजीबद्ध किया है। इस पर फैसला आने पर ही उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकेगी।

# नया गैस कनेक्शन मिलने से महिलाओं को चूल्हा नहीं फूंकना होगा:शिवराज सिंह चौहान

भोपाल (पीआईसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प से अब महिलाओं का चूल्हे फूँकना बंद होगा और उन्हें गैस चूल्हा निःशुल्क दिया जायेगा। केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि अगले पाँच साल में प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्वला योजना में 80 लाख गैस कनेक्शन दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान एवं केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री प्रधान शहडोल में योजना का शुभारंभ कर रहे थे। समारोह में 7 हजार गैस कनेक्शन वितरित किये गये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शहडोल में विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने शहीद भगत सिंह व्यवसायिक परिसर का भी लोकार्पण किया।

इस मौके पर वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री ज्ञान सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं श्रम मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दुनिया में भारत की शान बढ़ाई है। उन्होंने अल्प समय के कार्यकाल में ही भारतीय नागरिकों की बुनियादी समस्याओं को जाना और उनके समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाये। इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्रों में चूल्हे पर खाना बनाने वाली महिलाओं के जीवन को सुरक्षित करने के लिये उन्होंने प्रधानमंत्री उज्वला योजना बनाई गई। इस योजना से अब ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ चूल्हा फूँकने की बजाय गैस चूल्हे पर खाना बनायेंगी। उन्होंने कहा कि जिन बीपीएल कार्डधारियों को गैस कनेक्शन दिया जायेगा, उनका नाम गरीबी रेखा की सूची से नहीं काटा जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राज्य सरकार द्वारा गरीब वर्ग के लिये चलाई गई योजनाओं का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जहाँ गरीबों को एक रूपये किलो गेहूँ, चावल और नमक दिया जा रहा है। वर्षों से जो जिस जमीन पर बसा है उसको उसका पट्टा दिया जा रहा है। दिसंबर 2005 तक के वन भूमि पर काबिज वनवासियों को वनाधिकार पट्टा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहडोल संभाग में एक लाख से अधिक हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टे दिये जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले तीन साल में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 लाख मकान गरीबों को दिये जायेंगे। उन्होंने बताया कि गरीब विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिये भी सरकार निःशुल्क पाठय-पुस्तक, छात्रवृत्ति, गणवेश और सायकल वितरित कर रही हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिये कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई गई जिससे 300 से अधिक छात्र-छात्राएँ आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में चयनित हुए। इनकी पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठायेगी। लाड़ली लक्ष्मी योजना में 22 लाख बालिकाओं को लाभांवित किया गया है। शासकीय नौकरी में वन विभाग को छोड़कर 33 प्रतिशत का आरक्षण महिलाओं को दिया गया है।

केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्वला योजना के प्रथम चरण में शामिल देश के 5 राज्य में मध्यप्रदेश एक है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 2 साल में 23 लाख गैस कनेक्शन दिये गये हैं, जिसमें से 17 लाख घर में एलपीजी गैस कनेक्शन है। उन्होंने बताया कि अगले 3 साल में 35 लाख और 5 वर्ष में 80 लाख गैस कनेक्शन प्रदेश में दिये जायेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शहडोल के विकास के लिये कई घोषणाएँ की और विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किये। उन्होंने कहा कि एसईसीएल की भूमि पर 60 वर्ष से जो लोग रह रहे हैं, उन्हें नहीं हटाया जायेगा। शहडोल संभाग में बड़े एवं छोटे झाड़ जिन जमीनों पर दर्ज हैं उसका मालिकाना हक जनता को दिया जायेगा। उन्होंने संभाग के 3 जिले के लिये 1015 करोड़ के कार्यों को स्वीकृति दी। उमरिया जिले के इंदवार अंचल के 162 गाँव के लिये 291 करोड़ की लागत की नल-जल योजना स्वीकृत की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि शहडोल संभाग में 470 करोड़ की लागत से 6000 मकान बनाकर गरीबों को दिये जायेंगे। इसके साथ ही 200 से अधिक आबादी वाले गाँवों को राजस्व गाँव घोषित कर उनका सर्वांगीण विकास किया जायेगा। मनरेगा की मजदूरी और सामाजिक योजनाओं की पेंशन राशि का 5 किलोमीटर दूरी के हर गाँव में मोबाइल वेन के जरिये भुगतान करवाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि शासन की विभिन्न योजनाओं में 31 हजार 731 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है। इनमें 5011 वनाधिकार पट्टे, लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रमाण-पत्र, भू-धारक प्रमाण-पत्र, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास, हितग्राहियों को मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के लाभ पत्र वितरित किये।

*जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश वासियों को ईद की शुभकामनाएं दीं।*

स्वत्वाधिकारी ,मुद्रक,प्रकाशक आलोक सिंघई ने सम्यक प्रिंटर्स से छापा और ऊपरी भूतल-7 अलकनंदा काम्पलेक्स जोन-1,एमपी नगर भोपाल से प्रकाशित किया।
**संपादक - आलोकसिंघई** फो.2555007,मोबा.-9425376322 न्याय क्षेत्र भोपाल. **aloksinghai67@gmail.com**